क.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.

कीव प्रिसिजन पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। (2020 की सिविल अपील संख्या 2176)

05 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।7, 8, 9, 14, 238 ए-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 -धारा 13 (2)-सीमा अधिनियम 1963-अनुसूची-Art.137 और एस. एस.5, 18 – प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत ऋण/ऋण सुविधाएँ और उनके बीच आवश्यक दस्तावेजों को 29.11.2012 पर निष्पादित किया गया-23.11.2012 और 31.12.2013 के बीच, ऋण राशि वितरित की गई-प्रत्यर्थी ने दिनांकित ज्ञापन द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा-प्रत्यर्थी बकाया चुकाने में चूक करता है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा 30.09.2015 पर NPA घोषित किया जाता है-19.11.2017 पर, अपीलार्थी ने वैधानिक नोटिस जारी किया।13(2) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार किया और दो उदाहरणों पर एक बार के समझौते की पेशकश की-20.12.2018 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और निष्पादित किया गया-प्रत्यर्थी ने निपटाई गई राशि के पुनर्भुगतान में चूक की-2.01.2019 पर, अपीलार्थी ने यू/एस के तहत एक आवेदन दायर किया।7 एन. सी. एल. टी. के समक्ष निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए आई. बी. सी.-आवेदन को स्वीकार करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने एस. के संदर्भ में रोक लगा दी।14 दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.)-प्रत्यर्थी के निलंबित निदेशकों ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था-एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि वह समय जब देय राशि का भुगतान न करने का ऋण हुआ था और आवेदन दायर करने की तारीख यू /धारा 7 सीमा से परे है-पीड़ित, अपीलार्थी ने यू/एस के तहत अपील दायर की। 62 आई. बी. सी., 2016-आयोजितःएन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के सवाल पर विचार नहीं किया-यदि सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 को आकर्षित किया जाएगा जो प्रदान करता है कि इस तरह के ए के लिए निर्धारित सीमा की अवधि

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

आवेदन आवेदन करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल है-सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही अपीलार्थी को यह समझाने का अवसर दिए बिना बंद कर दी गई थी कि क्या एन. सी. एल. टी. तक पहुँचने में देरी का पर्याप्त कारण था-एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता होने के कारण, दावे की अस्वीकृति से पहले वित्तीय लेनदार को सूचित करने के आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (बी) का प्रावधान आकर्षित होगा और अपीलार्थी को अतिरिक्त अभिवचन और/या दस्तावेज दायर करके धारा 7 के तहत अपने आवेदन में दोषों को सुधारने का अवसर मिल सकता है-इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक अलग कर दिया जाता है कि सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही बंद कर दी गई है।

ग

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1 यह अपीलार्थी वित्तीय लेनदार का मामला है कि **12** दिसंबर **2018** को निगमित देनदार ने एक करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव दिया था।यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।**19** दिसंबर **2018** को, कॉर्पोरेट देनदार ने एक बार के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव को संशोधित कर **Rs.20** करोड़ कर दिया।यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया। **20** दिसंबर **2018** को, कॉर्पोरेट देनदार ने एक बार के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव को फिर से संशोधित किया।इस बार निगमित देनदार ने वित्तीय लेनदार के बकाया का भुगतान करने की पेशकश की। **24,55,00,000/-** का भुगतान **31** दिसंबर **2018** के भीतर किया जाना है।इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। **[**पैरा **27] [226-**डी**-**एफ**]**

डी.

ई.

1.2 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा **25** से यह स्पष्ट है कि समयबद्ध ऋण का भुगतान करने का कोई भी समझौता, भुगतान की नियत तारीख से तीन साल के भीतर, इस तरह के समझौते के संदर्भ में, कानून में लागू किया जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा **25 (3)** को एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** के संज्ञान में नहीं लाया गया था। एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** ने भी उपरोक्त धारा पर विचार नहीं किया।**[**पैरा **29] [228-**बी**]**

च

जी.

1.3 धारा **25 (3)** केवल वहाँ लागू होती है जहाँ ऋण वह है जो प्रतिवादियों के खिलाफ प्रवर्तनीय होगा, लेकिन सीमा के कानून के लिए।जहाँ कोई ऋण अन्य कारणों से प्रतिवादी पर बाध्यकारी नहीं है, और परिणामस्वरूप उसके खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं है, वहाँ धारा **25 (3)** के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।**[**पैरा **32] [228-**एफ**-**जी**]**

एच.

क.

1.4 सीमा अधिनियम**, 1963** की धारा **18** के तहत स्वीकृति और अनुबंध अधिनियम की धारा **25** के अर्थ के भीतर एक वादे के बीच अंतर है। किसी पक्ष या उस ओर से अधिकृत उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित लिखित वचन और स्वीकृति दोनों का प्रभाव सीमा की एक नई शुरुआत बनाने का होता है।अंतर यह है कि सीमा अधिनियम की धारा **18** के तहत एक पावती सीमा की अवधि के भीतर की जानी चाहिए और भुगतान करने के किसी भी वादे के साथ होने की आवश्यकता नहीं है।यदि कोई स्वीकृति न्यायिक संबंध के अस्तित्व को दर्शाती है, तो यह सीमा बढ़ा सकती है, भले ही भुगतान करने से इनकार किया जा सकता है।दूसरी ओर, धारा **25 (3)** केवल तभी आकर्षित होती है जब समयबद्ध ऋण या उसके किसी भी हिस्से का

भुगतान करने का स्पष्ट वादा किया जाता है।दस्तावेज़ की जांच करने पर भुगतान करने के वादे का अनुमान लगाया जा सकता है।केवल वादा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए।**[**पैरा **33] [228-**जी**-**एच**; 229-**ए**-**बी**]**

ग

1.5 आई**.** बी**.** सी**.** की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक होती है**,** तो इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है**,** कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होती है।जहाँ कोई निगमित देनदार चूक करता है**,** वहाँ एक वित्तीय लेनदार**,** एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं ऐसे निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है जैसा कि आई**.** बी**.** सी**.** के अध्याय **II** में प्रदान किया गया है। **35.[**पैरा **34] [229-**सी**]**

डी.

ई.

1.6 आई**.** बी**.** सी**.** के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट ऋणदाता की व्यावसायिक और/या वाणिज्यिक गतिविधियों को एक समाधान पेशेवर द्वारा जारी रखा जाए**,** जो एक स्थगन लागू होने के बाद कॉर्पोरेट ऋणदाता को दंडात्मक मुकदमेबाजी से कुछ राहत देगा**,** जो कॉर्पोरेट ऋणदाता को उसके वित्तीय संसाधनों से वंचित कर सकता है।यह कॉर्पोरेट देनदार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और साथ ही अपने लेनदारों के बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए है **[**पैरा **35] [229-**डी**-**ई**]**

च

1.7 आई**.** बी**.** सी**.** का अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **238** में यह प्रावधान किया गया है कि आई**.** बी**.** सी**.** के प्रावधान**,** किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद**,** उस समय लागू या किसी अन्य साधन के लिए प्रभावी होंगे**,** जो ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी होंगे।**[**पैरा **44] [232-**जी**-**एच**; 233-**ए**]** ए

जी.

एच.

215

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स।

1.8 आई**.** बी**.** सी**.** निगमित ऋणदाता के सभी ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार के साथ**-**साथ अपने कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है**,** जो निगमित ऋणदाता के प्रबंधन में उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से निगमित ऋणदाता को पुनर्जीवित करता है**,** जो अपने ऋणदाताओं को निगमित ऋणदाता के बकाया का भुगतान करने में विफल रहे।यह केवल निगमित ऋणदाता के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग करता है।**[**पैरा **46] [233-**बी**-**सी**]**

1.9 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** के समक्ष आई**.** बी**.** सी**.** के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम**,** **1963** में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है।एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है**,** उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद **137** द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद **137** के तहत**,** इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है।**[**पैरा **55] [236-**बी**-**सी**]**

ग

डी.

1.10 सीमा अधिनियम की धारा **18** के अनुसार**,** विपरीत पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई वर्तमान निर्वाह देयता की स्वीकृति और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है**,** उसके द्वारा हस्ताक्षरित**,** उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए।हालांकि**,** सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।**[**पैरा **62] [238-**बी**-**सी**] 1.11** सीमा की अवधि के भीतर लिखित रूप में की गई स्वीकृति सीमा की अवधि को बढ़ाती है।इस मामले में**,** उस अवधि से तीन साल के भीतर ऋण की कोई पावती नहीं थी जिस अवधि पर कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन**.** पी**.** ए**.** घोषित किया गया था या उस तारीख से तीन साल के भीतर जब ऋण सुविधाओं को वापस लिया गया था।**[**पैरा **66] [240-**बी**]**

ई.

च

जी.

1.12 अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** ने पाया कि सीमा की अवधि के भीतर ऋण की कोई स्वीकृति नहीं थी

एच.

क.

तीन साल।आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7** के तहत अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित करते हुए**,** अपीलीय प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** ने अपील को स्वीकार कर लिया।**[**पैरा **68] [240-**ई**-**एफ**]**

1.13 अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** ने भी **20** दिसंबर **2018** को निष्पादित किए गए समझौते की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया**,** संभवतः इसलिए कि एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** का ध्यान समझौते की किसी भी शर्त की ओर नहीं खींचा गया था।इसलिए**,** अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** के पास इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं था कि क्या अनुबंध अधिनियम की धारा **25 (3)** को आकर्षित किया जाएगा।अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.),** जैसा कि ऊपर कहा गया है**,** इस आधार पर आगे बढ़ा कि सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की कार्यवाही को सीमा की अवधि के भीतर ऋण की किसी भी पावती के अभाव में सीमा से रोक दिया गया था**,** और आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7** के तहत कार्यवाही के लिए देरी की माफी के लिए सीमा अधिनियम की धारा **5** के लागू होने के सवाल पर विचार किए बिना**,** एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** में सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की कार्यवाही को बंद कर दिया। **[**पैरा **69] [240-**एफ**-**एच**]**

ग

डी.

1.14 इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है।एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** के विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया है कि सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की कार्यवाही बंद कर दी गई है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को जवाब में दस्तावेजों/अतिरिक्त शपथपत्र का खुलासा करते हुए अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का अवसर देने के बाद**,** ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में**,** कानून के अनुसार**,** सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** के लिए आवेदन पर नए सिरे से विचार करेगा।**[**पैरा **71] [241-**सी**-**डी**]**

ई.

बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम

बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 328:[1958] एससीआर 1122;

च

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत संघ

और ओआरएस (2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एस. सी. आर. 535; पोपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274:[1953]

एससीआर **677;** देना बैंक **(**अब बैंक ऑफ बड़ौदा**)** बनाम सी**.** शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य **(2021) 10** एससीसी **330;** बी**.** के**.** एजुकेशनल सर्विसेज **(**पी**)** लिमिटेड बनामपराग गुप्ता और

जी.

एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633:[2018] 12 एससीआर 794;

शेष नाथ सिंह और अन्र। बनाम बैद्यबती श्योराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड (2021) 7 एस. सी. सी. 313; गौरव ए.

एच.

217

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स।

हरगोविंदभाई डेव बनाम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

(इंडिया) लिमिटेड (2019) 10 एससीसी 572:[2019] 13 एससीआर 224;

जिग्नेश शाह बनाम भारत संघ **(2019) 10** एस**.** सी**.** सी**. 750:[2019] 12** एस**.** सी**.** आर**. 678;** बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान

ए. आई. आर 1959 एस. सी 798:[1959] पूरक।एस. सी. आर. 476; बाबुलाल

वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (2020) 15 एस. सी. सी. 1; खान बहादुर शापूर फ्रेडून मजदा बनाम दुर्गा प्रसाद चमारिया और अन्य

एआईआर 1961 एससी 1236:[1962] एस. सी. आर. 140; संपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जैसवाल और ए. एन. आर. ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 5249; बंगाल सिल्क मिल्स कं.इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ ए. आई. आर. 1962 ए. आई. आर. 115; री पेंडम टी कंपनी ए. आई. आर. 1974 ए. आई. आर. 170; साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम।जनरल कृष्ण शमशेर जंग बहादुर राणा आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712; हेगड़े गोले लिमिटेड बनाम.भारतीय स्टेट बैंक आईएलआर 1987 कर 2673-निर्दिष्ट

ग

डी.

को।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1958] एससीआर **1122**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2019] 3 एससीआर **535**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

ई.

[2018] 12 एससीआर **794**

संदर्भित किया गया है

पैरा **51**

[1953] एससीआर **677**

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

[2019] 13 एससीआर **224**

संदर्भित किया गया है

पैरा **56**

[2019] 12 एससीआर **678**

संदर्भित किया गया है

पैरा **58**

च

[1959] पूरक।एससीआर **476**

संदर्भित किया गया है

पैरा **59**

[1962] एससीआर **140**

संदर्भित किया गया है

पैरा **63**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2176।

जी.

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 1349 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 08.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद एस., महिप दत्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

क.

मोहित चौधरी, सुश्री पूजा शर्मा, कुणाल सचदेवा, बलविंदर सिंह सूरी, चौधरी जुल्फकार अली, सुश्री गरिमा शर्मा, सुश्री महिमा आहूजा, पारस मिथल, परवीन कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 के तहत अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा दायर यह अपील, जिसे इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (एन. सी. एल. ए. टी.) के 8 जनवरी, 2020 के फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रतिवादी-निगमित देनदार द्वारा दायर 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 1349 की अनुमति दी गई है, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा 6 सितंबर, 2019 को पारित एक आदेश के खिलाफ है, जिसमें आवेदन को कंपनी याचिका संख्या (आई. बी.) 672/एन. डी./2019 के रूप में स्वीकार किया गया है।

ग

डी.

2. निगमित देनदार टेंपो और ट्रैक्टर घटकों के निर्माण का व्यवसाय करता है।आई. डी. 1 में या उसके आसपास, निगमित देनदार ने अपने व्यवसाय और संचालन का विस्तार करने का फैसला किया और प्रस्तावित विस्तार के लिए वित्त के लिए बैंकरों के साथ बातचीत की।3. निगमित देनदार के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2012 में किसी समय, अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के कुछ कर्मचारियों ने निगमित देनदार से संपर्क किया, जिसमें निगमित देनदार के तत्कालीन मौजूदा बैंकरों की तुलना में कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता और बेहतर सुविधाओं और व्यावसायिक सहायता की पेशकश की गई।

ई.

च

4. अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने नवंबर 2012 से समय-समय पर निगमित देनदार को ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी है।29 नवंबर 2012 और 15 मार्च 2013 को हुई निगमित ऋणदाता के निदेशक मंडल की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ श्री मुनीश कुमार भुनसाली को निगमित ऋणदाता की ओर से ऋण और प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

जी.

5. 29 नवंबर, 2012 को या उसके आसपास, ऋण/ऋण सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों को अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया था।23 नवंबर, 2012 और 31 दिसंबर, 2013 के बीच ऋण राशि का वितरण किया गया।

एच.

219

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

6. 29 नवंबर 2012 को अपीलार्थी वित्तीय ऋणदाता और निगमित ऋणदाता के बीच निम्नलिखित ऋण और प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) "मास्टर फंड आधारित सुविधा समझौता (ii) परिकल्पना का विलेख"

(iii) मुहिश कुमार भुनसाली द्वारा गारंटी का विलेख (iv) मांग वचन पत्र

(v) डिमांड प्रॉमिसरी नोट के लिए डिलीवरी लेटर लें।(vi) पूरक सह संशोधन समझौता

ग

(vii) अंतिम उपयोग उपक्रम "

7. 27 मई 2013 को, अपीलार्थी वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार के बीच आगे के ऋण और प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित किया गया, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन (ii) अंतिम उपयोग उपक्रम

डी.

(iii) श्री मुनीश कुमार भुनसाली द्वारा उपक्रम (बंधक)

(iv) क्यू प्रिसिजन पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी (बंधक)।

ई.

(v) श्री एम. यूनिश कुमार भुनसाली द्वारा घोषणा (बंधक) "

8. श्री मुनीश कुमार भुनसाली के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा निष्पादित 13 दिसंबर 2013 के जमा ज्ञापन द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के पक्ष में अपनी संपत्ति को गिरवी रख दिया।

च

9. 7 फरवरी 2014 के मंजूरी पत्र द्वारा, अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार ने ऋण/ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी। 2036.00 कॉर्पोरेट देनदार को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार लाखः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“आई. नकद ऋणःरु. 1000.00 लाख

ii.डब्ल्यू. सी. डी. एल. (सी. सी. की उप सीमाःरु. 680.00 लाख

iii.चालान वित्त छूटःरु. 680.00 लाख (सीसी जमा करें)

एच.

iv.सावधि ऋण-I:Rs.240 लाख बनाम सावधि ऋण-II:रु. 334.00 लाख vi।सावधि ऋण-III:रु. 426.00 लाख iv.सशर्त डब्ल्यूसीडीएलःरु. 200.00 लाखों का कुल एक्सपोजरःरु. 2036 लाख "

10. अपीलार्थी वित्तीय ऋणदाता के अनुसार, निगमित ऋणदाता वित्तीय ऋणदाता को अपने बकाया का पुनर्भुगतान करने में चूक करता है।इसलिए, अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने 30 सितंबर 2015 को निगमित देनदार के खाते को "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति" (एन. पी. ए.) घोषित किया।9 अक्टूबर, 2015 को अपीलार्थी वित्तीय लेनदार द्वारा ऋण वापस ले लिया गया था।

ग

11. 19 नवंबर 2017 को, अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत वैधानिक नोटिस जारी किया, जिसे इसके बाद सरफेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।

डी.

12. 12 दिसंबर 2018 को, कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के समक्ष अपनी देनदारी स्वीकार की और 31 दिसंबर, 2018 के भीतर भुगतान किए जाने वाले Rs.15,00,00,000-(केवल पंद्रह करोड़ रुपये) की राशि के लिए एक बार के निपटान की पेशकश की।19 दिसंबर 2018 को, कॉर्पोरेट देनदार ने फिर से अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के समक्ष अपनी देनदारी स्वीकार की और 31 दिसंबर, 2018 के भीतर भुगतान किए जाने वाले Rs.20,00,00,000-(केवल बीस करोड़ रुपये) की राशि के लिए एक बार के निपटान की पेशकश की।20 दिसंबर, 2018 को कॉर्पोरेट देनदार ने एक बार के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव को संशोधित किया।निगमित देनदार ने बकाया राशि का भुगतान Rs.24,55,00,000-(केवल चौबीस करोड़ और पचास लाख रुपये) की एकमुश्त राशि पर करने की पेशकश की।इस प्रस्ताव को अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने स्वीकार कर लिया था।

ई.

च

13. उसी दिन, यानी 20 दिसंबर, 2018 को कॉर्पोरेट ऋणदाता और अपीलकर्ता वित्तीय ऋणदाता द्वारा निपटान की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए और उन्हें निष्पादित किया गया, जिसके तहत 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले Rs.24,55,00,000-(केवल चौबीस करोड़ और पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया जाना था।

जी.

14. निगमित ऋणदाता का आरोप है कि अपीलार्थी वित्तपोषक द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं में कमियां थीं।चाहे जो भी हो, निगमित देनदार ने अपीलार्थी ए से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

एच.

221

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

वित्तीय लेनदार, जो उसके पुनर्भुगतान में चूक करता है और एक बार के निपटान का प्रस्ताव देकर अपीलार्थी वित्तीय लेनदार के प्रति दायित्व स्वीकार करता है।जब किसी वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वित्तीय लेनदार पर कोई वित्तीय ऋण बकाया है और क्या ऋण की राशि कंपनी की याचिका दायर करने की तारीख को रु. 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) से अधिक है, उक्त राशि भौतिक समय पर सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए सीमा है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह भी जांचना होगा कि क्या आवेदन पर कोई सीमा है या नहीं।

15. कॉरपोरेट देनदार और वित्तीय लेनदार के बीच पहले से मौजूद विवाद, यदि कोई हों, तो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार के आवेदन का कोई परिणाम नहीं है, जबकि आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक परिचालन लेनदार के आवेदन के विपरीत, जिसे पहले से मौजूद विवाद होने पर खारिज करना पड़ सकता है।

ग

डी.

16. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत अपीलार्थी वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही इस अपील में इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपीलार्थी वित्तीय लेनदार का आवेदन सीमा द्वारा वर्जित था।यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि सी. आई. आर. पी. कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि की गणना में, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम या किसी अन्य वसूली कानून के तहत उपचार करने में बिताए गए समय को बाहर नहीं किया जा सकता है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एस. ए. आर. एफ. ई. ए. एस. आई. या किसी अन्य वसूली कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने से वित्तीय लेनदार के सी. आई. आर. पी. शुरू करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि उसके ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है।

ई.

17. निगमित देनदार अपीलार्थी वित्तीय लेनदार को सहमति के अनुसार Rs.24,55,00,000 का भुगतान करने में चूक करता है।इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने कंपनी याचिका सं. (आईबी) एन. सी. एल. टी. में 672/एम. डी./2019।

च

18. उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के 6 सितंबर, 2019 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि अपीलार्थी वित्तीय लेनदार के साथ निगमित देनदार के खाते को 30 सितंबर 2015 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था।हालाँकि, अपीलार्थी वित्तीय ऋणदाता 12 दिसंबर, 2018 को निगमित ऋणदाता द्वारा दिए गए एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव पर भरोसा कर रहा था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि निगमित ऋणदाता द्वारा वित्तीय ऋण के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था।

जी.

एच.

19. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के 6 सितंबर, 2019 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय लेनदार सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 62 पर भरोसा कर रहा था, जिसके तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे, बंधक द्वारा सुरक्षित धन के भुगतान को लागू करने के लिए, या अन्यथा अचल संपत्ति पर प्रभारित, उस समय से 12 साल है जब मुकदमा किया गया धन देय हो जाता है।

20. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कि कॉर्पोरेट देनदार ने अपने दिनांकित पत्र 12.12.2018 के माध्यम से वित्तीय लेनदार से Rs.15 करोड़ की राशि के एक बार के निपटान के लिए संपर्क किया, जिससे इसकी चूक स्वीकार की गई, एक निष्कर्ष है कि कार्रवाई का एक निरंतर कारण है।

ग

याचिका के कथन के अनुसार जून, 2015 में चूक होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है और दिनांक 27.11.2018 के अनुसार, Rs.46,63,35,337.31 की राशि देय और बकाया है।जनवरी 2019 में दायर की जा रही वर्तमान याचिका सीमा के भीतर है, जो कार्रवाई के कारण की तारीख से तीन साल के भीतर है।इसके अलावा भले ही निगमित देनदार की ओर से दावा राशि के संबंध में कुछ विसंगतियों को पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह देखा गया है कि आई. बी. सी., 2016 के तहत तय की गई न्यूनतम सीमा रुपये से अधिक है।"

डी.

ई.

21. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आई. बी. सी. की धारा 14 के संदर्भ में रोक लगा दी और श्री अश्विनी कुमार गुप्ता की अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) के रूप में नियुक्ति की भी पुष्टि की।

च

22. निगमित ऋणदाता के निलंबित निदेशकों ने एन. सी. एल. ए. टी. में 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 1349 के रूप में अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता वित्तीय ऋणदाता द्वारा दायर याचिका को सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था।23. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“33. प्रथम प्रत्यर्थी या बैंक की याचिका यह है कि दोनों पक्षों यानी उधारकर्ता और 'कॉर्पोरेट देनदार' और बैंक की ओर से कार्रवाई का निरंतर और बार-बार कारण था, कि यदि किसी दीवानी अदालत द्वारा कोई डिक्री पारित की जाती है जो लंबित है या निष्पादन के अस्तित्व में है, तो यह एक 'निरंतर कारण ए' के बराबर होगा।

एच.

223

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

कार्रवाई '।वास्तव में प्रथम प्रत्यर्थी/बैंक इस दलील को प्रस्तुत करता है कि 'कार्रवाई के निरंतर कारण' का अर्थ है 'कार्रवाई का कारण' जो कृत्यों की पुनरावृत्ति या उसी प्रकार की चूक से उत्पन्न होता है जिसके लिए कार्रवाई की गई थी।

34. 'आई एंड बी' के तहत 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' शुरू करने के लिए प्रथम प्रतिवादी/बैंक द्वारा दायर फॉर्म I भाग II में आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि 17.11.2015 पर डिफ़ॉल्ट होने का दावा की गई राशि रु। 18,65,05,035.86 और यह कि डिफ़ॉल्ट जून, 2015 में हुआ था।हालाँकि, 27.11.2018 पर बकाया राशि रु। 46,63,35,337.31।

ग

XXX

XXX

XXX

38. इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 62 अचल संपत्ति पर गिरवी या अन्यथा प्रभारित धन के भुगतान को लागू करने से संबंधित है।बंधक को लागू करने के लिए एक मुकदमा अनुच्छेद 62 द्वारा शासित होता है और इसे उस तारीख से 12 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब तक कि निर्धारित सीमा अवधि को सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत नहीं बढ़ाया गया था। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आवेदन के संबंध में अवशिष्ट लेख का गठन करता है।इसे संक्षेप में रखने के लिए, अनुच्छेद 113 'मुकदमों' से संबंधित है, अनुच्छेद 137 'आवेदनों' से संबंधित है।अनुच्छेद 137 की भाषा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि उक्त अनुच्छेद की प्रयोज्यता उन आवेदनों तक ही सीमित होगी जिनका उल्लेख सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के तीसरे खंड में नहीं किया गया है।

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

च

41. जहाँ तक सीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 का संबंध सीमा अधिनियम के तहत लिखित में स्वीकृति के प्रभाव से है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में होनी चाहिए और उस पक्ष द्वारा भी हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसके खिलाफ संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है और वह भी सीमा अवधि के भीतर होनी चाहिए।यह कहा नहीं जा सकता है कि सामान्य अवधि की समाप्ति के बाद दी गई पावती 'ऋण' को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।यदि कोई दावा वर्जित है, तो यह तथ्य कि दायित्व की स्वीकृति थी, किसी वर्जित दावे को इस कारण से पुनर्जीवित नहीं करेगा कि किसी भी कानून में, केवल मौजूदा/मौजूदा दायित्व की स्वीकृति हो सकती है।

जी.

एच.

42. कानून में, यह स्थापित करने की जिम्मेदारी हमेशा लेनदार पर होती है कि समय के भीतर एक पावती दी गई थी।इसके अलावा, पावती कोई नया अधिकार नहीं बनाती है और यह केवल निर्णय P.Sreedevi बनाम के अनुसार सीमा अवधि को बढ़ाती है।76.

43. इस न्यायाधिकरण के लिए यह प्रासंगिक उल्लेख करना अनुचित नहीं हो सकता है कि जब सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का लाभ लेने का दावा करने वाला कोई पक्ष अधिकार क्षेत्र में किसी दोष या समान प्रकृति के किसी अन्य कारण से नहीं, तो वह निर्णय Z.Khan बनाम राजस्व बोर्ड, 1984 ए. एल. एल. जे. के अनुसार सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। हालाँकि, 'अजोब एंटरप्राइजेज' वी. जयंत वेगोइल्स एंड केमिकल्स ए. आई. आर. 1991, बॉम्बे के निर्णय में पृष्ठ 35 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋण की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लिया गया समय, ऐसी कार्यवाही को सीमा अवधि की गणना में बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि मुकदमे में जारी मामला और कार्यवाही को समाप्त करना समान नहीं है।

ग

डी.

XXX

XXX

XXX

45. वर्तमान मामले में, प्रथम प्रत्यर्थी/बैंक/वित्तीय लेनदार को एसए 250/2016 (ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ और एक अन्य द्वारा 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा दायर) अपीलकर्ताओं को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नए सिरे से कार्यवाही करके अपीलकर्ताओं से बकाया वसूल करने की स्वतंत्रता दी गई थी।बाद में प्रथम प्रत्यर्थी/बैंक ने 'कॉर्पोरेट देनदार' और अन्य के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष OA 576 दायर किया और 2.05.2019 पर डिक्री प्राप्त की।इसलिए, यह पहले प्रतिवादी/बैंक के लिए खुला नहीं है कि वह सीमा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार समय को हटाने की मांग करे। निस्संदेह, प्रथम उत्तरदाता/बैंक ने सही मंच का आह्वान किया था। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली अपने बकाया और 'कॉर्पोरेट देनदार' आदि की वसूली के लिए।

ई.

च

जी.

XXX

XXX

XXX

47. प्रथम प्रत्यर्थी/बैंक की याचिका के संबंध में कि 26.03.2016 पर, 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा बैंक के खिलाफ उनके ऋणों को अस्वीकार नहीं करने के लिए शिकायत की गई थी और उक्त पत्र में ऋण देयता की स्वीकृति थी, यह इंगित किया जाना चाहिए कि ए

एच.

225

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

यह बताता है कि यह बैंक के बचाव में नहीं आ सकता है क्योंकि 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा बकाया का भुगतान न करने का ऋण जून, 2015 में हुआ था और धारा 7 का आवेदन प्रथम प्रतिवादी/बैंक द्वारा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष 30.01.2019 पर दायर किया गया था जो सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में निहित सीमा की अवधि से परे है। साथ ही निर्णय में कल्पना ट्रेडिंग कंपनी। बनाम कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत ए. आई. आर. 1999 ए. आई. आर. 37, यह देखा गया है कि मुद्दों को निपटाने के लिए केवल उच्च अधिकारियों को पत्र भेजना 'स्वीकृति' के बराबर नहीं है।"

24. निर्णय और आदेश का कार्यात्मक भाग नीचे दिया गया हैः

ग

“54. परिणामस्वरूप, 'कॉर्पोरेट देनदार' 'मेसर्स क्यू प्रिसिजन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड' को 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' की कठोरता से मुक्त कर दिया गया है।'अंतरिम समाधान पेशेवर'/'समाधान पेशेवर' और 'लेनदारों की समिति' द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों, यदि कोई हो, को अवैध घोषित किया जाता है और अलग कर दिया जाता है।'समाधान पेशेवर' को 'कॉर्पोरेट देनदार' के रिकॉर्ड और संपत्तियों को 'कॉर्पोरेट देनदार' के प्रवर्तक/निदेशकों को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया जाता है।55. यह मामला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ('राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण') नई दिल्ली पीठ को 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान पेशेवर' के 'शुल्क और लागत' का निर्धारण करने के लिए भेजा जाता है, जो प्रथम प्रतिवादी/बैंक ('वित्तीय लेनदार') द्वारा वहन और भुगतान किया जाना है।मामले को छोड़ने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम प्रतिवादी/बैंक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन को खारिज करने से वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम मंच के समक्ष उचित उपाय करने से नहीं रोकेगा, यदि वह ऐसा चाहता है/सलाह देता है।

डी.

ई.

च

अपील को वनाच्छादित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है।कोई लागत नहीं।जुड़ा हुआ आई. ए. सं. 3842/19 और आई. ए. सं. 3843/19 बंद हैं।हालाँकि, अपीलकर्ताओं को आज से एक सप्ताह के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ('एन. सी. एल. टी.'), नई दिल्ली के विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"

जी.

25. इस अपील में, यह तर्क दिया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वित्तीय लेनदार को दिए गए चेक फरवरी 2017 तक उछल गए।निगमित देनदार द्वारा दायर अपील याचिका का पैराग्राफ 2 (vii) नीचे दिया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

226 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

"vii) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए दिए गए चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था और उक्त चेक फरवरी, 2017 तक "अपर्याप्त धन" के कारण बाउंस हो गया था, जिसके खिलाफ यू/एस ने शिकायत की थी।138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, न्यायालय के समक्ष लंबित है।"

26. यदि, जैसा कि अपीलार्थी वित्तीय लेनदार द्वारा तर्क दिया गया है, कोई भी चेक फरवरी, 2017 में जारी किया गया था, तो 2 जनवरी, 2019 को दायर सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए धारा 7 के तहत अपीलार्थी वित्तीय लेनदार का आवेदन स्पष्ट रूप से सीमा के भीतर होगा।हालाँकि, अपीलार्थी वित्तीय लेनदार द्वारा एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. या इस अदालत के समक्ष कार्यवाही में प्रकट किए गए भुगतान का कोई विवरण नहीं है।हालाँकि, यदि सितंबर, 2015 में कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित किए जाने के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया था, तो 12 दिसंबर, 2018 या उसके बाद की तारीख से तीन साल से अधिक की समाप्ति के बाद की गई पावती, जिस तारीख को चूक हुई थी, सीमा को नहीं बचा पाएगी।

ग

डी.

27. यह अपीलार्थी वित्तीय लेनदार का मामला है कि 12 दिसंबर 2018 को निगमित देनदार ने एक करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव दिया था।यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।19 दिसंबर 2018 को, कॉर्पोरेट देनदार ने एक बार के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव को संशोधित कर Rs.20 करोड़ कर दिया।यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया।20 दिसंबर 2018 को कॉर्पोरेट देनदार ने एक बार के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव को फिर से संशोधित किया।इस बार निगमित देनदार ने वित्तीय लेनदार के बकाया का भुगतान करने की पेशकश की। 24,55,00,000/- का भुगतान 31 दिसंबर 2018 के भीतर किया जाना है।इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए।

ई.

च

28. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार प्रदान करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"25. बिना विचार के समझौता अमान्य है, जब तक कि यह लिखित रूप में और पंजीकृत न हो या किसी किए गए कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा न हो या सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण का भुगतान करने का वादा न हो।—विचार किए बिना किया गया समझौता अमान्य है, जब तक कि-विचार किए बिना किया गया समझौता अमान्य नहीं है, जब तक कि-"

जी.

(1) यह लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत पंजीकृत किया जाता है, और एक दूसरे के निकट संबंध में खड़े पक्षों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण बनाया जाता है; या जब तक कि ए

एच.

(2) यह एक ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने का वादा है, जिसने पहले ही स्वेच्छा से वचनदाता के लिए कुछ किया है, या कुछ ऐसा जो वचनदाता कानूनी रूप से करने के लिए मजबूर था; या जब तक कि नहीं।

(3) यह एक वादा है, जो लिखित रूप में किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, या उसके एजेंट द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से उस ओर से अधिकृत किया जाता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक ऋण का भुगतान करने के लिए जिसका लेनदार भुगतान लागू कर सकता है, लेकिन मुकदमे की सीमा के लिए कानून के लिए।इनमें से किसी भी मामले में, ऐसा समझौता एक अनुबंध है।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा में कुछ भी वास्तव में दिए गए किसी भी उपहार की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, जैसा कि दाता और दाता के बीच होता है।स्पष्टीकरण 2.—एक समझौता जिसमें वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी जाती है, केवल इसलिए अमान्य नहीं है कि विचार अपर्याप्त है; लेकिन न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का निर्धारण करने में विचार की अपर्याप्तता को ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी।

ग

डी.

दृष्टान्त

(क) बी को बिना किसी विचार के रुपये देने का वादा। 1, 000।यह एक अमान्य समझौता है।

ई.

(ख) ए, स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के लिए, अपने बेटे बी, को रुपये देने का वादा करता है। 1, 000।ए बी को अपना वादा लिखित रूप में देता है और इसे पंजीकृत करता है।यह एक अनुबंध है।

((c) A को B का पर्स मिलता है और वह उसे देता है।बी ए को रुपये देने का वादा करता है। 50.यह एक अनुबंध है।

च

((घ) ए, बी के शिशु पुत्र को सहारा देता है।बी ऐसा करने में ए के खर्चों का भुगतान करने का वादा करता है।यह एक अनुबंध है।

(ई) ए का बकाया बी रु। 1, 000, लेकिन ऋण सीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। एक बी रुपये का भुगतान करने के लिए एक लिखित वादे पर हस्ताक्षर करता है। ऋण के कारण 500।यह एक अनुबंध है।

जी.

(च) ए रुपये मूल्य का घोड़ा बेचने के लिए सहमत होता है। 1, 000 रुपये के लिए। 10.समझौते के लिए ए की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी।विचार की अपर्याप्तता के बावजूद समझौता एक अनुबंध है।

(छ) ए रुपये मूल्य का घोड़ा बेचने के लिए सहमत होता है। 1, 000 रुपये के लिए। 10.ए इस बात से इनकार करता है कि समझौते के लिए उसकी सहमति स्वतंत्र थी

एच.

दिया गया।" विचार की अपर्याप्तता एक तथ्य है जिसे न्यायालय को इस बात पर विचार करते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि ए की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी या नहीं।

29. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि समयबद्ध ऋण का भुगतान करने का कोई भी समझौता, भुगतान की नियत तारीख से तीन साल के भीतर, ऐसे समझौते के संदर्भ में, कानून में लागू किया जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को एन. सी. एल. ए. टी. के संज्ञान में नहीं लाया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने भी उपरोक्त धारा पर विचार नहीं किया।30. इस अपील में यह तर्क दिया गया है कि 20 दिसंबर, 2018 के अंतिम प्रस्ताव के बाद एक समझौता किया गया था।ऐसा समझौता था या नहीं, इस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को विचार करना होगा।धारा 25 (3) को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

(i) यह एक ऋण को संदर्भित करता है, जिसे लेनदार, लेकिन सीमा की अवधि के लिए, लागू कर सकता है;

((ii) इस तरह के ऋण का पूरी तरह या आंशिक रूप से भुगतान करने का एक अलग वादा होना चाहिए।

डी.

((ग) वचन लिखित रूप में होना चाहिए और ऋणी या उसके विधिवत नियुक्त अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

31. धारा 25 (3) के तहत, एक देनदार लिखित रूप में एक समझौता कर सकता है, एक ऋण के पूरे या हिस्से का भुगतान करने के लिए, जिसे लेनदार ने लागू किया होगा, लेकिन कानून में एक मुकदमे की सीमा के लिए।वर्जित ऋण का भुगतान करने का लिखित वादा एक वैध अनुबंध है।इस तरह का वादा नवीनता का गठन करता है और मूल ऋण से स्वतंत्र मुकदमे का आधार बन सकता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि ऋण समाप्त नहीं हुआ है, उपचार समय के साथ बाधित हो जाता है जैसा कि इस न्यायालय ने बॉम्बे डाइंग में कहा था और

ई.

विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम बॉम्बे राज्य **1.**

च

32. धारा 25 (3) केवल वहाँ लागू होती है जहाँ ऋण वह है जो प्रतिवादियों के खिलाफ प्रवर्तनीय होगा, लेकिन सीमा कानून के लिए।जहां कोई ऋण अन्य कारणों से प्रतिवादी पर बाध्यकारी नहीं है, और परिणामस्वरूप उसके खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं है, वहां धारा 25 (3) के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

जी.

33. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत स्वीकृति और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक वादे के बीच अंतर है। उस ओर से अधिकृत किसी पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित लिखित वचन और स्वीकृति दोनों के पास है -

एच.

1 आकाशवाणी 1958 एससी 328 ए

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

सीमा की एक नई शुरुआत बनाने का प्रभाव।अंतर यह है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक पावती सीमा की अवधि के भीतर की जानी चाहिए और भुगतान करने के किसी भी वादे के साथ होने की आवश्यकता नहीं है।यदि कोई स्वीकृति न्यायिक संबंध के अस्तित्व को दर्शाती है, तो यह सीमा बढ़ा सकती है, भले ही भुगतान करने से इनकार किया जा सकता है। दूसरी ओर, धारा 25 (3) केवल तभी आकर्षित होती है जब समयबद्ध ऋण या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने का

स्पष्ट वादा किया जाता है।दस्तावेज़ की जांच करने पर भुगतान करने के वादे का अनुमान लगाया जा सकता है।केवल वादा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए।

34. आई. बी. सी. की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक होती है, तो इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होती है।जहाँ कोई निगमित देनदार चूक करता है, वहाँ एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं ऐसे निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है जैसा कि आई. बी. सी. के अध्याय II में प्रदान किया गया है।

ग

डी.

35. आई. बी. सी. के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि निगमित ऋणदाता की व्यावसायिक और/या वाणिज्यिक गतिविधियों को एक समाधान पेशेवर द्वारा जारी रखा जाए, एक स्थगन लागू होने के बाद, जो निगमित ऋणदाता को दंडात्मक मुकदमेबाजी से कुछ राहत देगा, जो निगमित ऋणदाता को उसके वित्तीय संसाधनों से वंचित कर सकता है।यह कॉर्पोरेट देनदार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और साथ ही अपने लेनदारों के बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए है।

ई.

36. आई. बी. सी. की धारा 7 (2), जिसे सांविधिक 2016 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पढ़ा जाता है, के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, आई. बी. सी. की धारा 7,8,9 और 10 के साथ पठित धारा 239 की उप-धारा (1) के खंड (सी) (डी) (ई) और (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक वित्तीय लेनदार को आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 1 में आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड होते हैं, और जैसा कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट है।37. 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के नियम 4 (1) के तहत सांविधिक प्रपत्र 1 में भाग I से भाग V शामिल हैं, जिनमें से भाग I आवेदक के विवरण से संबंधित है, भाग II निगमित ऋणदाता के विवरण से संबंधित है और भाग III प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर के विवरण से संबंधित है।भाग IV और V जिनके लिए विवरण की आवश्यकता होती है -

च

जी.

एच.

दस्तावेजों, अभिलेखों और चूक के साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण नीचे निकाला गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

भाग **IV**

ग

भाग वी ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

231

38. धारा 7 (3) के तहत धारा 7 (1) के तहत आवेदन करने वाले वित्तीय लेनदार से सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या चूक के साक्ष्य के साथ दर्ज किए गए चूक के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो निर्दिष्ट किया जा सके; एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम और कोई अन्य जानकारी जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

39. आई. बी. सी. की धारा 7 (4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर एक दायित्व डालती है कि वह धारा 7 के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर एक सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से, या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाए।2019 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन द्वारा अंतःस्थापित आई. बी. सी. की धारा 7 (4) के प्रावधान के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।समय-सारणी का

पालन न करने पर आवेदन समाप्त नहीं होता है।न ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को खारिज करने के लिए बाध्य है।दूसरी ओर, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

40. धारा 7 (5) (ए) में प्रावधान है कि जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि चूक हुई है, और धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है।धारा 7 (5) (बी) के अनुसार, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि चूक नहीं हुई है या धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 5 की उप-धारा (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, अपने आवेदन में दोषों को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस देगा।

ई.

च

जी.

41. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है। धारा 7 (7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत एक आदेश देने और धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत एक आदेश वित्तीय प्राधिकरण को देने का दायित्व डालती है।

एच.

लेनदार, जैसा भी मामला हो, ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर।आई. बी. सी. की धारा 8 और 9 एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान से संबंधित हैं और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित नहीं हैं।धारा 10 स्वयं निगमित ऋणदाता द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत से संबंधित है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी आकर्षित नहीं होती है।42. आई. बी. सी. केवल ऋणों की वसूली के लिए एक और क़ानून नहीं है।न ही यह एक कानून है जो केवल एक कॉर्पोरेट निकाय के परिसमापन के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है, जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है।यह अनिवार्य रूप से एक कानून है जो एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ एक कॉर्पोरेट निकाय के पुनरुद्धार की दिशा में काम करता है।

ग

43. स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.भारत संघ

और ओआरएस। **2,** नरीमन द्वारा लिखित**,** जे**.** इस न्यायालय ने टिप्पणी की:**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। इसलिए, निगमित देनदार के हितों को विभाजित कर दिया गया है और इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनके हितों से अलग कर दिया गया है।इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि वास्तव में, उसके हितों की रक्षा करती है।धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है।जिस समय सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके, ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित कर सके।"

डी.

ई.

च

जी.

44. आई. बी. सी. का अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।आई. बी. सी. की धारा 238 में प्रावधान है कि आई. बी. सी. के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद कि किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी असंगत है।

2 (2019) 4 एससीसी 17 ए

एच.

233

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

उस समय प्रवृत्त विधि या कोई अन्य साधन, जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो।

45. दंडात्मक वसूली मुकदमे के विपरीत, आई. बी. सी. के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के हितों के प्रतिकूल नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन प्राइवेट में कहा है।

सीमित बनाम भारत संघ (ऊपर)।

46. दूसरी ओर, आई. बी. सी. निगमित ऋणदाता के सभी ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार के लिए एक लाभकारी कानून है, साथ ही इसके कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, निगमित ऋणदाता को उसके प्रबंधन में उन लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों के उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाता है, जो निगमित ऋणदाता के अपने ऋणदाताओं के बकाया का भुगतान करने में विफल रहे।यह केवल निगमित ऋणदाता के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रबंधन में व्यक्तियों के हितों से अलग करता है।

ग

47. किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने और/या व्याख्या करने में किसी को क़ानून के विधायी इरादे पर ध्यान देना चाहिए।कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए।संदेह के मामले में क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य या इसके पीछे के कारण और भावना को देखना हमेशा सुरक्षित रहता है।प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में ही लगाया जाना चाहिए।

डी.

जैसा कि जे**.** मुखर्जी ने पोपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य **3** और

इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय।48. जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा।कानून की पिछली स्थिति, क़ानून का सामान्य दायरा और दायरा और जिस शरारत को दूर करने का इरादा था, वे प्रासंगिक कारक हैं।

ई.

च

49. देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी और अन्य 4 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

89. आई. बी. सी. के प्रावधानों और विशेष रूप से 2016 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 7 (2) से (5) के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर किसी भी समय दस्तावेजों को दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है जब तक कि आवेदन को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है।"

जी.

3 ए. आई. आर 1953 एस. सी. 274 4 (2021) 10 एस. सी. सी. 330

एच.

234

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

50. आई. बी. सी. की धारा 238 ए निम्नलिखित प्रावधान करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 238 ए. सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।"

51. यह इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के बहुत सारे फैसलों और विशेष रूप से इस न्यायालय के फैसले से अच्छी तरह से तय होता है।

बी**.** के**.** एजुकेशनल सर्विसेज **(**पी**)** लिमिटेड बनामपराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स **5**

(2019) 11 एससीसी 633:(2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 528] एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के पास सीमा की निर्धारित अवधि के बाद आवेदन/अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार है।इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त सीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील और/या आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।

ग

52. आवेदन या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए पूर्ववर्ती शर्त, पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" होगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

डी.

53. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 किसी भी आवेदन की बात नहीं करती है।यह धारा न्यायालय को एक आवेदन या अपील स्वीकार करने में सक्षम बनाती है यदि आवेदक या अपीलार्थी, जैसा भी मामला हो, न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं करने और/या अपील को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त कारण था।एक अदालत/न्यायाधिकरण औपचारिक आवेदन के अभाव में भी देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

ई.

54. शेष नाथ सिंह और अन्र में। बनाम बैद्यबती शेओराफुली

च

सहकारी बैंक लिमिटेड **6,** हममें से एक **(**इंदिरा बनर्जी**,** जे**.)** द्वारा लिखित**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

"64. इसी तरह सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत, विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव डालती है, जिस दिन स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

जी.

5 (2019) 11 एससीसी 633 6 (2021) 7 एससीसी 313 ए

एच.

235

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

हालांकि, सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

65. जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 238-ए आई. बी. सी. सीमा अधिनियम के प्रावधानों को, जहां तक हो सके, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही पर लागू करती है।आई. बी. सी. एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए धारा 6 या 14 या 18 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के आवेदन को बाहर नहीं करता है।सीमा अधिनियम के सभी प्रावधान एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. टी. में कार्यवाही पर यथासंभव लागू होते हैं।66. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 या 18 धारा 7 या 9 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होनी चाहिए। बेशक, सीमा अधिनियम की धारा 18 इस मामले में आकर्षित नहीं है, क्योंकि विवादित आदेश [शेष नाथ सिंह बनाम बैद्यबती शेओराफुली कॉप।एन. सी. एल. ए. टी. का बैंक लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 928] किसी भी पावती के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है।

ग

डी.

***

89. विधायिका ने अपने विवेक में सीमा अधिनियम के प्रावधानों को एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही पर शब्दशः लागू नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन जानबूझकर 'जहां तक हो सके' शब्दों का उपयोग किया है।'जहाँ तक हो सके' शब्दों का अर्थ असंगत नहीं है।उन शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे विधान की विषय वस्तु और उस उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं जो विधानमंडल के विचार में है।अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी जो 'जहां तक हो सके' एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों को विफल कर देंगे।

ई.

च

***

92. आई. बी. सी. की धारा 238 ए में आने वाले 'जहां तक हो सके' शब्दों का उपयोग उपरोक्त धारा में 'होगा' शब्दों की कठोरता को कम करता है जिसे आम तौर पर अनिवार्य माना जाता है।'जहाँ तक हो सके' अभिव्यक्ति इस तथ्य का संकेत है कि सीमा अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकते हैं यदि वे आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। में।

जी.

एच.

साथ ही, 'जहाँ तक हो' शब्दों को सीमा अधिनियम की धारा 14 के मूल सिद्धांतों की आवश्यकताओं के पूर्ण बहिष्करण के रूप में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आवश्यक संशोधन द्वारा एक व्यापक, अधिक उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अनुमति देता है, जो उक्त धारा के सिद्धांतों के अनुरूप है।"

55. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है।एक आवेदन जिसके लिए सीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है।

ग

56. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है, यानी

डी.

डिफॉल टी की तारीख।नरीमन, जे. द्वारा लिखित गौरव एच. अर्गोविंदभाई डेव बनाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड 7 मामले में यह

अदालत ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. .....वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा।"

ई.

57. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में,

इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की स्थापना से ही संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है।“इसलिए मुकदमा करने का

अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है।यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।"

च

जी.

7 (2019) 10 एससीसी 572 ए

एच.

237

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

58. जिग्नेश शाह बनाम भारत संघ **8** में यह न्यायालय बोल रहा है

नरीमन के माध्यम से, जे. ने इस प्रस्ताव को दोहराया कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल थी, यानी चूक की तारीख।

59. देना बैंक (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस उक्ति पर भरोसा किया कि

पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान 9 में, और अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“31. ... धारा 23 एक निरंतर अधिकार के लिए नहीं बल्कि एक निरंतर गलत के लिए संदर्भित करती है।यह निरंतर गलत का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का एक निरंतर स्रोत बनाता है और उक्त चोट के जारी रहने के लिए कार्य करने वाले को जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है।यदि गलत कार्य एक चोट का कारण बनता है जो पूरी तरह से है, तो कोई निरंतर गलत नहीं है, भले ही कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है।हालाँकि, यदि कोई गलत कार्य इस तरह का है कि उसके कारण होने वाली चोट जारी रहती है, तो यह कार्य एक निरंतर गलत है।इस संबंध में गलत कार्य से हुई चोट और उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित किए जाने के बीच अंतर करना आवश्यक है।धारा 23 केवल उन कार्यों के संबंध में लागू की जा सकती है जिन्हें निरंतर गलतियों के रूप में उचित रूप से वर्णित किया जा सकता है।...”

ग

डी.

ई.

60. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है, जैसा कि फैसले में निर्धारित किया गया है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम मामले में इस न्यायालय का

उद्योग (पी) लिमिटेड 10, वह सीमा अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार में विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करने की मांग करता है, तो प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

च

61. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (ऊपर) में फैसला था

उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया जहां कोई अभिवचन नहीं थे।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देना बैंक (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत वैधानिक रूप में एक आवेदन जिसमें विवरणों को भरने की आवश्यकता होती है, का निर्णय उसी मानकों द्वारा नहीं किया जा सकता है जो

जी.

8 (2019) 10 एससीसी 750 9 एआईआर 1959 एससी 798 10 (2020) 15 एससीसी 1

एच.

न्यायालय में वाद या अन्य अभिवचन।आवेदन दाखिल करने के बाद दाखिल किए गए अतिरिक्त हलफनामों को, अतिरिक्त हलफनामों या आवेदनों के माध्यम से, अभिवचन के रूप में समझा जाना चाहिए, साथ ही वैधानिक प्रारूप में किए गए आवेदन में संलग्न या उन पर भरोसा किए गए दस्तावेजों को भी।इसके अलावा, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है।

62. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई वर्तमान निर्वाह देयता की स्वीकृति और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव पड़ता है जिस पर स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।इस तरह की स्वीकृति के साथ स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वादा या निहितार्थ भी नहीं होना चाहिए।हालांकि, सीमा की प्रासंगिक अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

ग

63. खान बहादुर शापूर फ्रेडून मजदा बनाम दुर्गा प्रसाद चमारिया और अन्य 11 में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 19 द्वारा निर्धारित स्वीकृति केवल ऋण का नवीनीकरण करती है; यह कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाता है।यह केवल इस संबंध में दायित्व की स्वीकृति है

प्रश्नगत अधिकार का; इसके साथ स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से भी भुगतान करने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है।द.

ई.

बयान जिस पर स्वीकृति का अनुरोध आधारित है, वह वर्तमान निर्वाह दायित्व से संबंधित होना चाहिए, हालांकि उक्त दायित्व की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को शब्दों में इंगित नहीं किया जा सकता है।तथापि, स्वीकृति में उपयोग किए गए शब्द ऋणी और लेनदार जैसे पक्षों के बीच न्यायिक संबंध के अस्तित्व का संकेत देने चाहिए, और यह प्रतीत होना चाहिए कि बयान इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने के इरादे से दिया गया है।इस तरह के इरादे का अनुमान प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ से लगाया जा सकता है, और इसे शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।यदि कथन काफी स्पष्ट है तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है।प्रश्नगत स्वीकारोक्ति व्यक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों और शब्दों में की जानी चाहिए जिनसे न्यायालय यथोचित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति का इरादा उस तारीख को विद्यमान दायित्व को संदर्भित करने का है।

च

जी.

11 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1236 ए

एच.

239

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

कथन।लिखित रूप में दिए गए बयानों में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ लगाने में, जिन पर स्वीकृति का अनुरोध मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करता है, को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, लेकिन आसपास की परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जा सकता है।कहा गया है कि आम तौर पर अदालतें ऐसे बयानों के उदार निर्माण के पक्ष में झुकती हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जहां कोई स्वीकार नहीं किया जाता है, वहां किसी का अनुमान लगाया जाना चाहिए, या जहां एक बयान स्पष्ट रूप से न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना किया गया था, तो इस तरह के इरादे को तर्क की एक शामिल या दूरगामी प्रक्रिया द्वारा बयान के निर्माता पर लगाया जा सकता है।मोटे तौर पर कहा गया है कि यह धारा 19 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का प्रभाव है, और इस मामले में वास्तविक कानूनी स्थिति के बारे में पक्षों के बीच वास्तव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।"

ग

64. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लेखा पुस्तकों और/या कॉर्पोरेट ऋणदाता की बैलेंस शीट में प्रविष्टियां भी सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक पावती के बराबर होंगी। परिसंपत्ति में

डी.

पुनर्निर्माण कंपनी **(**इंडिया**)** लिमिटेड बनाम बिशाल जैसवाल और

एन**.** आर**. 12 (**ऊपर**)** नरीमन**,** जे**.** द्वारा लिखित इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ उद्धृत किया

बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी के निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ।इस्माइल गोलम

हुसैन अरिफ, 13 और रे पांडेम टी कंपनी 14 लिमिटेड में, का निर्णय

दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम.जनरल कृष्णा

ई.

शमशेर जंग बहादुर राणा **15** और कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

हेगड़े गोले लिमिटेड बनाम**.**भारतीय स्टेट बैंक **16** और अभिनिर्धारित किया कि एक

तुलनपत्र में दी गई देयता की स्वीकृति ऋण की स्वीकृति के बराबर हो सकती है।इस मामले में, अपीलार्थी वित्तीय लेनदार ने किसी भी लेखा पुस्तिका या निगमित देनदार की तुलनपत्र पर भरोसा नहीं किया है।

च

65. सीमा अधिनियम की धारा 18 उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित दायित्व की लिखित स्वीकृति की बात करती है, जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है।भले ही पावती वाला लेखन दिनांकित न हो, उस समय का प्रमाण दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि एक स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है

जी.

12 ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 5249 13 ए. आई. आर. 1962 कैल 115 14 ए. आई. आर. 1974 कैल 170 15 आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712 16 आई. एल. आर. 1987 कर 2673

एच.

240

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

यद्यपि इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया जाता है या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा जाता है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया जाता है।“"हस्ताक्षरित" का अर्थ व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना है।

66. सीमा की अवधि के भीतर लिखित रूप में की गई स्वीकृति सीमा की अवधि को बढ़ाती है।इस मामले में, उस अवधि से तीन साल के भीतर ऋण की कोई पावती नहीं थी जिस अवधि पर कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित किया गया था या उस तारीख से तीन साल के भीतर जब ऋण सुविधाओं को वापस लिया गया था।

67. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ा कि 12 दिसंबर 2018 को निगमित ऋणदाता द्वारा किए गए निपटान के प्रस्ताव और अपीलीय द्वारा उसकी अस्वीकृति से पता चलता है कि निगमित ऋणदाता ने स्वीकार किया था कि कार्रवाई का एक निरंतर कारण था।हालाँकि, इस अपील में अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार का मामला है कि निपटान की शर्तों को 20 दिसंबर 2018 को निष्पादित किया गया था, जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार 31 दिसंबर 2018 के भीतर Rs.24,55,00,000 की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था।हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने किसी भी समझौते का उल्लेख नहीं किया।न ही इसने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या दिसंबर 2018 में ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कोई समझौता अस्तित्व में आया और यदि ऐसा है, तो क्या समझौता अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को आकर्षित करेगा।

ग

डी.

ई.

68. अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने पाया कि तीन साल की सीमा अवधि के भीतर ऋण की कोई स्वीकृति नहीं थी।आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार के आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने अपील को स्वीकार कर लिया।

च

69. अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने भी 20 दिसंबर 2018 को निष्पादित किए गए समझौते की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया, संभवतः इसलिए कि एन. सी. एल. ए. टी. का ध्यान समझौते की किसी भी शर्त की ओर नहीं खींचा गया था। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के पास इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं था कि क्या अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को आकर्षित किया जाएगा।अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आधार पर आगे बढ़ा कि सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही को सीमा की अवधि के भीतर ऋण की किसी भी पावती के अभाव में सीमा से रोक दिया गया था, और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही के लिए देरी की माफी के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के सवाल पर विचार किए बिना, एन. सी. एल. टी. में सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही को बंद कर दिया।

जी.

एच.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम के. ई. डब्ल्यू. प्रिसिशन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

क.

70. इस न्यायालय का विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने अपीलार्थी वित्तीय लेनदार को यह समझाने का अवसर दिए बिना सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही को बंद करने में गलती की कि क्या एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने में देरी का पर्याप्त कारण था। मूल कार्यवाहियों की निरंतरता होने के कारण, आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (बी) का प्रावधान, दावे की अस्वीकृति से पहले वित्तीय लेनदार को सूचित करने के लिए आकर्षित किया जाएगा।यदि कार्यवाहियों को बंद करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जाता है, तो अपीलार्थी वित्तीय लेनदार को अतिरिक्त अभिवचन और/या दस्तावेज दाखिल करके धारा 7 के तहत अपने आवेदन में खामियों को सुधारने का अवसर मिल सकता है।जैसा कि देना बैंक (ऊपर) में रखा गया है, दस्तावेज़ किसी भी समय तब तक दाखिल किए जा सकते हैं जब तक कि सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन अंततः खारिज नहीं हो जाता।

ग

71. इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है।एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया है कि सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही बंद कर दी गई है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को जवाब में दस्तावेजों/अतिरिक्त शपथपत्र का खुलासा करते हुए अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का अवसर देने के बाद, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, कानून के अनुसार, सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन पर नए सिरे से विचार करेगा।

डी.

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.